न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 08/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बलवीर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी चक 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरबंस सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी चक 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. सतनाम सिंह पुत्र केहर सिंह जाति बावरी निवासी चक 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-30.07.2020

उपस्थितः 1.श्री कुलदीप सिंह, रोशन राठौड अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री योगेश बंसल, अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक : २२.08.2022

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के मुश्तर्का खाता संख्या 58/47 के मुरब्बा नम्बर 45, 46 की कुल 4.680 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के मुश्तर्का खाता संख्या 88/79 के मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 1.898 हेक्टैयर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5,6 में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण दो-दो बिस्वा रास्ता लिया हुआ है। जिससे प्रार्थीगण आवागमन कर अपनी कृषि भूमि की काश्त करते है। उक्त रास्ता के संदर्भ में अप्रार्थी से लिखा-पढी भी हुई है व प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 14, 15 में 2-2 बिस्वा आराजी अप्रार्थी को दी हुई है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कहा कि अपने लिखे मुताबिक रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा ले, पहले तो अप्रार्थी कहता रहा कि करवा लेगे, परन्तु बाद में साफ इन्कार हो गया। यही वाद कारण है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है और रास्ता का उपभोग व उपयोग कर रहे है। इसलिए प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी है व रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश करउ अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर चक 62 एफ के खाता संख्या 88/79 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 व 6 की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण दो-दो बिस्वा रास्ता घोषित किया जाकर [illegible] अमल का आदेश वास्ते रिकॉर्ड अमल दरामद तहसीलदार श्रीकरणपुर का भिजवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 अदालत तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 27.10.2021 के साथ मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरसिंहपुरा, फर्द मौका मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:19:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

45 व 46 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि मौके पर अप्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र केहर सिंह मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 ता 8 पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 14 ता 25 कुल 3.036 हेक्टैयर नहरी भूमि हेतु अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 व 6 में से 2-2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है, जो निकटतम व उपयुक्त है। उक्त भूमि को कही से भी रिकॉर्डड रास्ता नहीं है। वादीगण को रास्ते की आत्यातिंक आवश्यकता है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 58/47 के मुरब्बा नम्बर 45, 46 की कुल 4.680 हेक्टैयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 व 6 से अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 15 तक पहुचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। उक्त रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा यानि कुल 0.0506 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.0506 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र केहर सिंह को 0.0506 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 14, 15 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:19:42 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक २२.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2022/443 दिनांक :-22.08.2022

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 08/2021 अनवान बलवीर सिंह आदि बनाम सतनाम सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 22.08.2022 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा यानि कुल 0.0506 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.0506 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र केहर सिंह को 0.0506 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 14, 15 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:19:42 IST
Reason: SelfAttested